

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान  
दावा संख्या 16/17  
पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)  
दायरा दिनांक 23.06.2017

हल्कू पुत्र गोदा जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां  
राजस्थान वादी

- बनाम
- 1-बंशी पुत्र गोदा जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 2-अमरसिंह पुत्र भोंदू जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 3-फूलसिंह पुत्र भोंदू जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 4-कमलेश पुत्री भोंदू पत्नि चन्दन जाति काछी निवासी कराहल तहसील कराहल जिला श्योपुर म0प्र0
  - 5-सुनीता पुत्री भोंदू पत्नि पूरम जाति काछी निवासी कराहल तहसील कराहल जिला श्योपुर म0प्र0
  - 6-तुरसा पुत्री भोंदू पत्नि कमलसिंह जाति काछी निवासी टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
  - 7-पूनम पुत्री भोंदू उम्र 16 वर्ष नाबालिग जयें बली माता कल्लो पत्नि स्व.भोंदू जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 8-कल्लो पत्नि स्व.भोंदू जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 9-डब्लू पुत्र घासी जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
  - 10-स्टेट आफ राजस्थान जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 राज. काश्त. अधि. 1955  
अंतिम निर्णय दिनांक- 23.05.2025

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2021 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 259 की ख0नं0 549 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 549/1135 रकबा 4.16 बीघा, ख0नं0 690/1147 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 715/1191 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 730 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 731 रकबा 1.00 बीघा, ख0नं0 734/1152 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 739 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 10.08 बीघा तथा खाता संख्या 258 की आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 821/1157 रकबा 4.08 बीघा, ख0नं0 1020 रकबा 3.07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 8.03 बीघा ग्राम सहरोलतलेटी तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/2 का विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 20.05.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे वादी ने स्वीकार कर कोई विवाद नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

23.05.2025  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
	<b>खाता संख्या 258</b>				
1-	हल्कू पुत्र गोदा जाति काछी सा. सहरोलतलेटी	821/1167	4.01 बीघा	बा. 3	
	<b>खाता संख्या 259</b>				
1-	हल्कू पुत्र गोदा जाति काछी सा. सहरोलतलेटी	549 पश्चिमी	1.00 बीघा	न.बा. अब्बल	
		549/1135	1.12 बीघा	न.1	
		पूर्वी			
		690/1147	0.02 बीघा	खेडा 2	
		पूर्वी			
		715/1191	0.05 बीघा	खेडा 2	
		पूर्वी			
		731	0.07 बीघा	चा. 1	
		पूर्वी			
		734/1152	0.01 बीघा	चा. 1	
		पश्चिमी			
		739	0.02 बीघा	बा. 2	

किता 7 - कुल रकबा 3.09 बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
	<b>खाता संख्या 258</b>				
1-	बंशी पुत्र गोदा जाति काछी सा. सहरोलतलेटी	821/1157	4.01 बीघा	बा. 3	
		दक्षिणी			
		1020	3.07 बीघा	बा.2	
		पश्चिमी			
		554	0.08 बीघा	बंजड	
		पूर्वी			

किता 3 - कुल रकबा 4.02 बीघा

	<b>खाता संख्या 259</b>				
1-	बंशी पुत्र गोदा हि. 69/138 जाति काछी	549	2.00 बीघा	न.बा. अब्बल	
	अमरसिंह फूलसिंह पुत्र भोंदू कमलेश सुनीता	मि.			
	तुरसा पूनम पुत्रियां भोंदू कल्लो पत्नि स्व.भोंदू	549/1135	3.04 बीघा	न.1	
	हि. 35/138 डब्लू पुत्र बंशी हि. 34/138	मि.			
	जाति काछी सा. देह	690/1147	0.06 बीघा	खेडा 2	
		मि.			
		715/1191	0.01 बीघा	जा. 1	
		मि.	0.08	चा. 1	
		731	0.13 बीघा	चा. 1	
		मि.			
		734/1152	0.02 बीघा	चा. 1	

23.05.2025

उपखण्ड अधिकारी

मि. 0.01 बीघा जाव 1

739 0.03 बीघा बा. 2

**किता 7 - कुल रकबा 6.18 बीघा**

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम सहरोलतलेटी तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी खाता संख्या 259 की ख0नं0 549 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 549/1135 रकबा 4.16 बीघा, ख0नं0 690/1147 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 715/1191 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 730 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 731 रकबा 1.00 बीघा, ख0नं0 734/1152 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 739 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 10.08 बीघा तथा खाता संख्या 258 की आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 821/1157 रकबा 4.08 बीघा, ख0नं0 1020 रकबा 3.07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 8.03 बीघा में से वादी हिस्सा 1/2 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित हिस्से पर कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

07  
22.05.2025  
उपरोक्त अधिकारी  
शाहावाद